Statement-II

Physical and Financial targets under various schemes of the Ministry of Environment and Forest for Development of degraded forest lands during the last 3 years

Physical in ha.
Financial in Lakh

Sr. No.	Name of the Scheme	1995-96		1996-97		1997-98	
		Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
1.	Integrated Afforestation & Eco-Development Project Scheme (IAEPS)	4101.75	53345	3458.81	56501	1919.91	38616
2.	Area Oriented Fuelwood and Fodder Project	3400.00	63136	3613.24	77169	2957.53	76807
3.	Non-Timber Forest Produce including Medicinal Plants Schemes	1224.04	20407	1070.13	23855	749.96	977
4.	Grants-in-aids Schemes	150.00	—	149.99	—	140.79	

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन

4710. श्री ईश दत्त यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बिहार में, विशेष रूप से बेनीपुर और दरभंगा में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मकान आबंटित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आवासों के निर्माण हेतु कुछ व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने के लिए झूठी फाइलें बनाकर निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Self employment schemes for unemployed youths

4711. SHRI R. MARGABANDU: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the various self employment schemes available for unemployed youths in the country; and

(b) whether loan schemes free of interest can be made available without insisting upon immovable securities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The Ministry of Rural Areas and Employment is implementing the following self employment schemes for rural poor Below Poverty Line (BPL) which include unemployed youth:—

(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP)
(ii) Development of Women & Children in Rural Areas (DWCRA)
(iii) Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM)

(iv) Supply of Improved Toolkits to Rural Artisans (SITRA)

(b) Loan schemes under IRDP are not free of interest. Immovable securities are not required for loans sanctioned for creation of movable assets upto a limit of Rs. 25,000/-. For loans above Rs. 25,000/- immovable securities will be required. However, in cases where movable assets are not created (e.g. dug wells, development of land etc.), mortgage of land/ third party guarantee, is required as security even for loans below Rs. 25,000/

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

4712. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के (डी०पी०ए०पी०) के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं और उन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्छ के सीमावर्ती जिले को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कुल कितनी धनराशि की मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लखागौड़ा पाटिल): (क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भूमि विकास, जल संसाधन विकास, वनरोपण एवं चरागाह विकास के माध्यम से कार्यक्रम के क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का विकास करना है। तदनुसार, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर 1994-95 तक भूमि विकास, जल संसाधन विकास, वनरोपण तथा चरागाह विकास के अंतर्गत देश में उपचारित वास्तविक क्षेत्र नीचे दिया गया है:—

('000 हैक्टेयर में)

(1) भूमि विकास	:	3444.16
(2) जल संसाधन विकास	:	1135.84
(3) वनरोपण एवं चरागाह विकास	:	2157.68

उसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई 4362 वाटरशैड विकास परियोजनाएं अभी तक चल रही हैं। उनके पूरा होने के पश्चात् प्रत्येक परियोजना लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डी०पी०ए०पी० के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई वर्षवार राशि विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) 1995-96 तक कच्छ के सीमावर्ती जिले को डी०पी०ए०पी० के अंतर्गत आबंटित राशि 30.08 करोड़ रुपए थी। उसके बाद कच्छ में डी०पी०ए०पी० का कार्य डी०डी०पी० को सौंप दिया गया। डी०पी०ए०पी० के लिए निधियां निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही आबंटित की गई थीं।

विवरण

डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत केन्द्रीय रिलीज

(रुपए लाख में)

राज्य	1992-93 केन्द्रीय रिलीज	1993-94 केन्द्रीय रिलीज	1994-95 केन्द्रीय रिलीज	1995-96 केन्द्रीय रिलीज	1996-97 केन्द्रीय रिलीज
1. आंध्र प्रदेश	631.50	1201.50	1093.86	2106.55	2619.63
2. बिहार	382.87	434.11	568.13	724.71	34.00
3. गुजरात	371.44	559.12	617.35	1013.96	731.06
4. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	66.50	194.00
5. जम्मू कश्मीर	166.80	111.37	266.75	260.29	198.00